प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक- 11.04.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

"साइबर जागरूकता अभियान" के अंतर्गत क्षेत्राधिकारी चरखारी द्वारा थाना चरखारी क्षेत्रअन्तर्गत सेंट जेम्स इंटर कॉलेज में पुलिस पाठशाला का आयोजन कर छात्र-छात्राओ को साइबर अपराध से बचने के उपाय, साइबर अपराध की घटना घटित होने पर क्या करें? क्या ना करें ? आदि के संबंध में जागरूक किया गया।

बढते हुये साइबर अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु श्रीमती अपर्णा गुप्ता, पुलिस अधीक्षक, जनपद महोबा की पहल पर साइबर अपराध से बचाव हेतु अभियान "ऑपरेशन ज्ञान कवच" चलाया जा रहा है, ऑपरेशन ज्ञान कवच अभियान के तहत आज दिनांक 10.04.2024 को क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री रविकान्त गौंड द्वारा थाना चरखारी अंतर्गत सेंट जेम्स इंटर कॉलेज में पुलिस पाठशाला का आयोजन किया गया जिसमे बच्चों को साइबर क्राइम, साइबर हेल्प नंबर 1930,ऑनलाइन फ्रॉड, महिला हेल्प लाइन नंबर 1090, आपातकालीन हेल्प लाइन नंबर -112,108,102 तथा यातायात नियमों के पालन को लेकर,आदि के बारे में जानकारी दी और आगामी सामान्य निर्वाचन चुनाव 2024 के दृष्टिगत बच्चों को मतदान को लेकर जागरूक किया गया।

इसके अतिरिक्त साइबर जागरुकता की पुलिस पाठशाला में जागरुक करते हुए बताया गया कि वह सोशल साइट का प्रयोग करते समय व अन्य सोशल कार्य करते समय किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करने, किसी से भी अपने एटीएम की डिटेल शेयर/साझा न करने, किसी भी अनाधिकृत सोशल मीडिया साइट से किसी प्रकार की खरीदारी न करने। सिम क्लोनिंग, धम्ब क्लोनिंग से कैसे बचे एक स्ट्रांग पासवार्ड बनाये जाने के विषय में विस्तृत रुप से बताया गया। किसी भी साइबर अपराध के सम्बन्ध में साइबर हेल्प लाइन न0 1930 या बेवसाइट **cybercrime.gov.in** पर शिकायत करें या नजदीकी थाने में बनी साइबर सेल पर अपनी समस्या बताते हुए शिकायत दर्ज करायें। तत्काल कार्यवाही की जायेगी।

❖जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा संयुक्त रूप से ईद-उल-फितर पर्व के अवसर पर निरन्तर भ्रमणशील रहते हुए शांति, सुरक्षा एवं सुदृढ़ कानून व्यवस्था का जायजा लिया गया।

❖ड्रोन से निगरानी, समुचित पुलिस प्रबन्ध व धर्मगुरुओं से संवाद स्थापित करते हुये ईद-उल-फ़ितर की नमाज को शांतिपूर्ण माहौल में सकुशल संपन्न कराया गया।

जिलाधिकारी महोबा श्री मृदुल चौधरी व पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता द्वारा संयुक्त रुप से आज दिनांक 11.04.2024 को ईद-उल-फितर पर्व की नमाज के अवसर पर कानून/शान्ति व्यवस्था के दृष्टिगत निरन्तर भ्रमणशील रहे, ड्रोन से निगरानी, चाक चौबन्द पुलिस प्रबन्ध व धर्मगुरुओं से संवाद स्थापित करते हुये ईद की नमाज को शांतिपूर्ण माहौल में सकुशल संपन्न कराया गया।

भ्रमण के दौरान ईद की नमाज के अवसर पर ईदगाह का निरीक्षण करते हुए वहां के धर्मगुरूओं, मस्जिदों के ईमाम व मौलाना से मुलाकात कर वार्ता की गयी तथा शान्ति व सौहार्दपूर्ण तरीके से मिलजुलकर त्यौहार मनाने, अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गयी तथा मस्जिदों में धर्म गुरुओं/लोगो से मिलकर ईद की मुबारकबाद दी गयी, साथ ही शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था ड्यूटी में लगे अधि0/कर्मचारीगणों को सतर्कता पूर्वक ड्यूटी करते हुए ईद की नमाज को सकुशल संपन्न कराये जाने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन पर जनपदीय पुलिस के समस्त क्षेत्राधिकारीगण/थाना प्रभारियों द्वारा ईद-उल-फ़ितर की नमाज को सकुशल संपन्न कराये जाने के दृष्टिगत अपने-अपने क्षेत्र में लगातार भ्रमणशील रहकर जनपद की समस्त मस्जिदों/ईदगाहों में पर्याप्त पुलिस बल की ड्यूटी लगाकर ईद की नमाज को शान्तिपूर्ण माहौल में सकुशल सम्पन्न कराया गया।

थाना चरखारी की पुलिस टीम ने गैंगस्टर एक्ट से सम्बन्धित वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन मे एवं अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यम व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री रविकान्त गौड़ के निकट पर्यवेक्षण में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत अपराध एवं अपराधियो पर अंकुश लगाये जाने हेतु चलाए जा रहे सघन चेकिंग/गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 11.04.2024 को थानाध्यक्ष चरखारी श्री गणेश कुमार द्वारा टीम का गठन किया गया जिसमें उ0नि0 अर्जुन पटेल द्वारा एक नफर वारंटी अभियुक्त रघुवर पुत्र राधाचरन उम्र करीब 40 वर्ष निवासी ग्राम बम्हौरी खुर्द थाना चरखारी जनपद महोबा को सम्बन्धित माननीय न्यायालय ADJ (FTC 2016) महोबा G.S.T No. 400019/2008 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट अ.सं. 1441/2007 मे निर्गत वारण्ट के आधार पर ग्राम बम्हौरी खुर्द से गिरफ्तार किया गया। वारंटी अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1.उ0नि0 अर्जुन पटेल 2. का.बृजेन्द्र कुमार थाना चरखारी महोबा

गिरफ्तार अभियुक्त :-

रघुवर पुत्र राधाचरन निवासी उम्र करीब 40 वर्ष ग्राम बम्हौरी खुर्द थाना चरखारी जनपद महोबा

थाना श्रीनगर की पुलिस टीम ने अवैध तमंचा व कारतूस के साथ अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन मे एवं अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यम व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री रविकान्त गौड़ के निकट पर्यवेक्षण में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत अपराध एवं अपराधियो पर अंकुश लगाये जाने हेतु चलाए जा रहे सघन चेकिंग/गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 11.04.2024 को श्री अर्जुन सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना श्रीनगर जनपद महोबा द्वारा गठित की गयी टीम के उ0नि0 दिनेश कुमार यादव द्वारा 01 नफर अभियुक्त अजय तिवारी उर्फ अज्जू पुत्र रामप्रकाश उम्र करीब 38 वर्ष निवासी मुहल्ला देवबाग कस्बा व थाना श्रीनगर महोबा को विलखी तिगैला से गिरफ्तार किया गया तथा गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अदद तमंचा देशी 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना श्रीनगर में मु.अ.सं. 80/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त को मान0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 दिनेश कुमार यदव 2. का0 प्रदीप कुमार मौर्या

गिरफ्तार अभियुक्त-

अजय तिवारी उर्फ अज्जू पुत्र रामप्रकाश उम्र करीब 38 वर्ष निवासी मुहल्ला देवबाग कस्बा व थाना श्रीनगर महोबा

बरामदगी-

एक अदद तमंचा देशी 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद

थाना चरखारी की पुलिस टीम ने अवैध तमंचा व कारतूस के साथ अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन मे एवं अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यम व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री रविकान्त गौड़ के निकट पर्यवेक्षण में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत अपराध एवं अपराधियो पर अंकुश लगाये जाने हेतु चलाए जा रहे सघन चेकिंग/गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 11.04.2024 को थानाध्यक्ष श्री गणेश कुमार द्वारा टीम का गठन किया गया । जिसमें उ.नि.सुभाषचन्द्र तिवारी द्वारा 01 नफर अभियुक्त आजाद माली पुत्र धन्ना माली नि0मु0 सिस्ताबगंज बाजर थाना रौनाही जनपद अयोध्या उम्र करीब 25 वर्ष को पं0दीनदयाल उपाध्याय पार्क (गुलमर्ग) के गेट के पास से गिरफ्तार किया गया था जिसके कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद हुआ । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 87/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ.नि.सुभाषचन्द्र तिवारी 2. का.वीरेश्वर दत्त मिश्र 3.का.जयदीप पटेल

गिरफ्तार अभियुक्त-

आजाद माली पुत्र उम्र करीब 25 वर्ष धन्ना माली नि0मु0 सिस्ताबगंज बाजर थाना रौनाही जनपद अयोध्या

बरामदगी- एक अदद तमंचा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज

थाना चरखारी की पुलिस टीम ने लूट की घटना सफल अनावरण करते हुये 04 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार,

कब्जे से लूट में प्रयुक्त 02 अदद मोटरसाइकिल, 03 अवैध तमंचा व 08 कारतूस सहित लूट का माल किया गया बरामद-

दिनांक 10.04.2024 वादी श्री जाहिद हुसैन पुत्र सईद हुसैन द्वारा थाना स्थानीय पर सूचना दर्ज करायी थी कि दिनांक 08.04.24 की रात्रि जब वादी अपने साथी हाफिज कलीम पुत्र इम्तियाज उद्दीन के साथ उसकी मोटरसाइकिल से ग्राम अस्थौन आ रहे थे तभी अस्थौन नहर पुलिया के पास दो मोटर साइकिल सवार चार अज्ञात बदमाशों ने वादी व उसके साथी की मोटरसाईकिल रुकवाकर वादी व उसके साथी के दो मोबाइल फोन व दो हजार रुपये नगद लूट लिये थे। उक्त सूचना के आधार पर दिनांक 10.04.2024 को थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 85/24 धारा 392 भादवि बनाम 04 अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था

उक्त लूट की घटना के सफल अनावरण हेतु पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन मे एवं अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यम व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री रविकान्त गौड़ के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष श्री गणेश कुमार द्वारा थाना स्तर पर टीमों का गठन किया गया था गठित टीम के उ0नि0 श्री सत्येन्द्र सिंह व उ0नि0 श्री विनोद कुमार द्वारा आज दिनांक 11.04.2024 को मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 85/24 धारा 392 भादवि से सम्बन्धित 04 अभियुक्तगण क्रमशः 1.अंकित राजपूत उर्फ अक्कू पुत्र रामदेव राजपूत उम्र 20 वर्ष 2.राज राजपूत पुत्र उदय सिंह राजपूत निवासी उम्र 19 वर्ष 3. राहुल पालीवाल पुत्र अशोक कुमार उम्र 19 वर्ष 4.गगन राजपूत पुत्र देवेन्द्र राजपूत उम्र 20 वर्ष के कब्जे से लूटे गये मोबाइल फोन व लूटे गये 1,200/- रुपयों एवं लूट की घटना मे प्रयुक्त 02 अदद मोटरसाइकिल 1.UP 91 U 8046 पल्सर 2. UP93BL2875 (KTM) तथा अवैध तमंचा व कारतूस सहित बफरेथा पुलिस बैरियर के पास से माल बरामदगी कर अभियुक्तों को अन्तर्गत धारा 392/411 भादवि व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार किया गया बाद आवश्यक बैधानिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्तगणों को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 सत्येन्द्र सिंह 2. उ.नि.विनोद कुमार सिंह 3.हे.का.देवीशरण 4.का.चन्दन पांचाल 5.का.कुलदीप सिंह

गिरफ्तार अभियुक्त,बरामदगी व आपराधिक विवरण-

1.अंकित राजपूत उर्फ अक्कू पुत्र रामदेव राजपूत उम्र 20 वर्ष निवासी पहाड़ी भिटारी थाना मुस्करा जनपद हमीरपुर के कब्जे से 01 अदद मोबाइल फोन INFINIX कम्पनी रंग नीला व लूट के 400 रूपये सहित एक अदद देशी तमंचा/जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद।

2.राज राजपूत पुत्र उदय सिंह राजपूत उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम चिल्लीगाँव थाना राठ जनपद हमीरपुर के कब्जे से छोटा मोबाइल की-पैड सैमसंग कम्पनी रंग काला व लूट के 350 रूपये सहित एक अदद देशी तमंचा/जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद।

3. राहुल पालीवाल पुत्र अशोक कुमार उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम तुरना थाना जरिया जनपद हमीरपुर के कब्जे से लूट के 200 रूपये 02 अदद कारतूस जिन्दा 315 बोर व 02 अदद कारतूस जिन्दा 12 बोर बरामद।

4.गगन राजपूत पुत्र देवेन्द्र राजपूत उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम पहाड़ी भिटारी थाना मुस्करा जनपद हमीरपुर के कब्जे से लूट के 250 रूपये व घटना में प्रयुक्त 02 अदद मोटरसाईकिल व 04 अदद मोबाइल सहित एक अदद देशी तमंचा व 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद शस्त्र बरामदगी के सम्बन्ध में अभियुक्तों के विरुद्ध थाना चरखारी पर क्रमशः 88/24, 89/24, 90/24 व 91/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया